प्ररूप–घ

न्यायालय : प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बिजावर के अतिरिक्त न्यायाधीश बिजावर, जिला छतरपुर म.प्र.

(समक्ष : राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)

Regist. no-ST/58/2022
Filling no- ST/1105/2022
CNR No. MP16050014652022
Filing Date - 18-10-2022

निर्णय तिथि– **15/05/2024**

[प्रकरण कमांक - ST/58/2022]

आरक्षी केन्द्र बाजना का अपराध कं0 40/2022 अंतर्गत धारा 294, 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860)

परिवादी	मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बाजना, जिला छतरपुर (म.प्र.)
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री बी.डी. शुक्ला, अपर लोक अभियोजक
	–: विरूद्ध :–
अभियुक्त	मनोज पिता कोरिया अहिरवार, आयु 28 वर्ष, निवासी– ग्राम बाजना, थाना बाजना, जिला छतरपुर म.प्र.
प्रतिनिधित्व द्वारा	श्री रामजी विश्वकर्मा अधिवक्ता।

प्ररूप–ड

अपराध की तारीख	14.06.2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट की तारीख	15.06.2022
अभियोग पत्र की तारीख	08.09.2022
आरोप के विरचना की तारीख	10.01.2023
साक्ष्य प्रारंभ होने की तारीख	20.02.2023
निर्णय सुरक्षित किये जाने की तारीख	09.05.2024
निर्णय की तारीख	15.05.2024
दण्डादेश यदि कोई हो की तारीख	निल

अभियुक्त का विवरण

क्रं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर रिहा किये जाने की दिनांक	अपराध जिनका आरोप है	दोषमुक्ति या दोषसिद्वि	अधिरोपित दण्डादेश	धारा 428 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत निरोध की अवधि
1	मनोज अहिरवार	16.06.2022	गिरफ्तारी दिनांक से आज दिनांक 15.05.24 तक न्यायिक निरोध में।	धारा 294, 302 भादंवि	दोषमुक्ति	निल	01 वर्ष 10 माह 29 दिन

प्ररूप–च

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन साक्षीगण की सूची

क. अभियोजनः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
(असा–01)	मुलुआ	फरियादी
(असा–02)	कमलेश	कथन एवं पंच साक्षी
(असा–03)	भाना अहिरवार	कथन एवं पंच साक्षी
(असा–04)	दशरथ अहिरवार	कथन एवं पंच साक्षी
(असा–05)	मन्नू अहिरवार	पंच साक्षी
(असा–06)	रोहित	नजरीनक्शा का साक्षी
(असा–07)	रूपसिंह	पुलिस साक्षी
(असा–08)	ललिता विश्वकर्मा	पंच साक्षी
(असा–09)	गनेश पटेल	पंच साक्षी
(असा–10)	सुनील कुमार	पुलिस साक्षी
(असा–11)	डॉ. के.पी. बामौरिया	चिकित्सीय साक्षी
(असा–12)	टीकाराम कुर्मी	विवेचक

ख. प्रतिरक्षा साक्षी, यदि कोई होः–

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
ब.सा.–01	सरजू प्रसाद यादव	बचाव साक्षी

ब.सा.—02	डॉ. नीरज कुमार द्विवेदी	चिकित्सीय साक्षी

ग. न्यायालयीन साक्षी, यदि कोई होः—

श्रेणी	नाम	साक्ष्य की प्रकृति (चक्षुदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
निल		

अभियोजन / प्रतिरक्षा / न्यायालयीन प्रदर्शों की सूची

क. अभियोजनः—

क.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श कमांक	दस्तावेज का विवरण
01.	प्रपी—01 / असा—01	प्रथम सूचना रिपोर्ट
02.	प्रपी—02 / असा—01	अप्राकृतिक मृत्यु का पंजीकरण
03.	प्रपी—03 / असा—01	सफीना फार्म
04.	प्रपी—04 / असा—01	नक्शा पंचायतनामा
05.	प्रपी—05 / असा—01	नक्शामौका
06.	प्रपी—06 / असा—02	आरोपी का मेमोरेण्डम
07.	प्रपी—07 / असा—02	जप्ती पत्रक
08.	प्रपी—08 / असा—02	आरोपी का गिरफ्तारी पत्रक
09.	प्रपी—09 / असा—06	नजरीनक्शा
10.	प्रपी—10 / असा—07	जप्ती पत्रक
11.	प्रपी—11 / असा—08	जप्ती पत्रक
12.	प्रपी—12 / असा—11	शव परीक्षण रिपोर्ट
13.	प्रपी—13 / असा—11	क्वेरी रिपोर्ट
14.	प्रपी—14 / असा—12	रोजनामचा सान्हा क्र.19 की प्रविष्टि
15.	प्रपी—15 / असा—12	रोजनामचा सान्हा क्र.18 की प्रविष्टि
16.	प्रपी—16 / असा—12	रोजनामचा सान्हा क्र.24 की प्रविष्टि
17.	प्रपी—17 / असा—12	शव परीक्षण आवेदन
18.	प्रपी—18 / असा—12	एफ.एस.एल. ड्राफ्ट
19.	प्रपी—19 / असा—12	एफ.एस.एल. रिपोर्ट
20.	प्रपी—20 / असा—12	नजरीनक्शा तैयार करने हेतु लेख पत्र
21.	प्रपी—21 / असा—12	क्वेरी हेतु लेख पत्र

ख. प्रतिरक्षाः–

क.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श कमांक	दस्तावेज का विवरण
01.	प्रडी–1/असा–1	मुलुआ का पुलिस कथन
02.	प्रडी–2/असा–2	कमलेश का पुलिस कथन
03.	प्रडी–3/असा–4	दशरथ का पुलिस कथन
04.	प्रडी–4/अ.सा.–12	अस्पताल का पर्चा

ग. न्यायालयीन प्रदर्शः–

क.सं.	दस्तावेज का प्रदर्श कमांक	दस्तावेज का विवरण
1.	निरंक	निरंक

घ. आवश्यक वस्तुएंः–

क.सं.	भौतिक सामग्री संख्या	विवरण
1	आर्टीकल– ए	पत्थर
2	आर्टीकल– बी	खूनआलूदा मिट्टी
3	आर्टीकल– सी	सादा मिट्टी
4	आर्टीकल– डी लगायत एफ	मृतक के कपड़े

–:: निर्णय ::–

(आज दिनांक 15/05/2024 को घोषित किया गया)

---

01. आरोपी के विरूद्ध भा.द.सं. की धारा 294, 302 के तहत दण्डनीय अपराधों के आरोप हैं कि उसने दिनांक 14.06.2022 को 21:20 से 21:30 बजे के मध्य भीमकुंड तिराहा, सरकारी हैंडपम्प के पास स्थित ग्राम बाजना अंतर्गत थाना बाजना में मृतक हरदास उर्फ हरिदास को लोक स्थान पर मां–बहिन की अश्लील गालियां देकर उन्हें एवं सुनने वालों को क्षोभ कारित किया एवं उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आरोपी द्वारा मृतक हरिदास अहिरवार की पत्थर से मारपीट कर साशय या जानते हुए मृत्यु कारित कर हत्या की।

02. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 14.06.2022 को रात करीब 09:30 बजे फरियादी मुलुवा एवं उसका लड़का हरिदास अहिरवार भीमकुंड तिराहा के पास लगे सरकारी नल पर पानी भरने गये थे तथा वहीं पर उसके गांव का आरोपी मनोज अहिरवार मिला और फरियादी को नल से पानी भरने से रोकने लगा और कहने लगा कि नल उसने सुधरवाया है, इसलिए वह पानी भरेगा एवं फरियादी एवं उसके लड़के

को पानी भरने से मना कर दिया। फरियादी के लडके हरिदास ने कहा कि सरकारी नल है, सभी पानी भरेंगे, तब आरोपी मनोज अहिरवार फरियादीगण को मां–बहिन की बुरी–बुरी गालियां देने लगा एवं पास में पड़ा एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाया और जान से मारने की नियत से फरियादी के लड़के हरिदास अहिरवार के सिर पर पत्थर से दो–तीन बार मारा, जिससे हरिदास के सिर के पीछे तरफ गहरी चोट आकर खून निकलने लगा व हरिदास वहीं जमीन पर गिर पड़ा। फरियादी मुलुवा द्वारा चिल्लाने पर भाना अहिरवार व कमला अहिरवार ने बीच–बचाव किया। हरिदास को चिकित्सीय परीक्षण हेतु बड़ामलहरा अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे छतरपुर अस्पताल के लिए रेफर किया गया तथा छतरपुर से झांसी अस्पताल के लिए रेफर किया गया, किन्तु झांसी अस्पताल ले जाने के दौरान ग्राम आलीपुरा के पास दोपहर करीब 02:00 बजे हरिदास की मृत्यु हो गई। फरियादी मुलुवा की रिपोर्ट पर थाना बाजना में अपराध क्र.40/2022 अंतर्गत धारा 302, 294 भा.द.वि. पर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध कर विवेचना कर अनुसंधान में लिया गया।

03. अनुसंधान के दौरान पुलिस के द्वारा घटनास्थल का नक्शामौका एवं नजरीनक्शा बनाया गया, फरियादी एवं साक्षीगण के धारा 161 द0प्र0सं0 के कथन लेखबद्ध किये गये। मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया। आरोपी का भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अंतर्गत मेमोरेण्डम लेखबद्ध किया गया जिसके आधार पर आरोपी से घटना में प्रयुक्त पत्थर जप्त कर जप्ती पंचनामा तैयार किया गया तथा जप्तशुदा संपत्ति को परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. भेजा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया गया। पुलिस द्वारा अन्य आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही पूर्ण कर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा 294, 302 भारतीय दण्ड संहिता 1860 में अभियोग पत्र श्री राज पाण्डेय, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रृंखला न्यायालय बकस्वाहा, जिला छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय, छतरपुर को उपार्पित किया गया, जहां से विधिवत् सुनवाई हेतु अंतरण पर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।

04. आरोपी के विरूद्ध भा0द0सं0 की धारा 294, 302 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध का आरोप लगाये जाने पर आरोपी द्वारा अपराध करने से इंकार कर विचारण चाहा गया है। धारा 313 द.प्र.सं के तहत हुए आरोपी परीक्षण में आरोपी ने अभियोजन साक्षीगण के कथनों की सत्यता से इंकार किया है अथवा अनभिज्ञता प्रकट की है तथा अपनी प्रतिरक्षा में बताया है, कि वह निर्दोष है, आहत मोटरसाईकिल से शराब के नशे में ग्राम वनपुरा में गिर गया था और गिरने से उसे काफी चोटें आयी थीं तथा उसे बुराई के कारण झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है तथा अपने समर्थन में बचाव

साक्षी सरजू प्रसाद यादव ब.सा.01 एवं डॉ. नीरज कुमार द्विवेदी ब.सा.02 को न्यायालय के समक्ष परीक्षित कराया गया है।

05. **<u>प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि</u>** :–

01. क्या आरोपी ने दिनांक 14.06.2022 को 21:20 से 21:30 बजे के मध्य भीमकुंड तिराहा के पास सरकारी हैंडपम्प के पास स्थित ग्राम बाजना अंतर्गत थाना बाजना में मृतक हरदास उर्फ हरिदास को लोक स्थान पर मां–बहिन की अश्लील गालियां देकर उन्हें एवं सुन्ने वालों को क्षोभ कारित किया ?

02. क्या उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर मृतक हरिदास की हुई मृत्यु सामान्य परिस्थितियों में ना होकर मानव वध प्रकृति की थी ?

03. क्या आरोपी द्वारा उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर मृतक हरिदास अहिरवार की पत्थर से मारपीट कर साशय या जानते हुए मृत्यु कारित कर हत्या की ?

<u>–: सकारण निष्कर्ष :–</u>

<u>–: विचारणीय प्रश्न क 1 लगायत 3 पर निष्कर्ष के आधार :–</u>

06. चूंकि सभी विचारणीय प्रश्न परस्पर तथ्यों एवं साक्ष्य से संबंधित हैं, इसलिए साक्ष्य विवेचन की सुविधा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त सभी विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

07. इस संबंध में फरियादी मुलुवा अ.सा.01 के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया गया है कि घटना कथन दिनांक से पिछले वर्ष छठवे महीने की 14 तारीख के रात के 9–10 बजे की है। वह एवं उसका लड़का हरिदास भीमकुंड तिराहे के पास सरकारी नल पर पानी भरने के लिए गये थे, जैसे ही वे पानी भरने लगे, तब आरोपी मनोज ने कहा कि उसने नल सुधरवाया है, इसलिए तुम पानी नहीं भरोगे, तब हरिदास ने कहा कि सरकारी नल है इसलिए वे ही पानी भरेंगे। इसी बात पर से आरोपी मनोज गाली–गलौच करने लगा और पत्थर से हरिदास के सिर के पीछे तीन बार प्रहार किया, जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा, तब वह भागकर अपने भतीजे एवं परिवार वालों को बुलाने के लिए गया। जब वह लौटा, तब उसका

लड़का हरिदास नहीं मिला था। उसे पता चला था कि उसके लड़के को मोटरसाईकिल से कोरेया, पार्वती, संतोष, तुलैया व मनोज वनपुरा लेकर चले गये हैं।

08. इस साक्षी द्वारा यह भी बताया गया है कि तब वह अपने भतीजे भाना की मोटरसाईकिल से वनपुरा पहुंचा, वनपुरा में बस्ती के पास मृतक हरिदास सड़क के किनारे आम के पेड़ के पास पड़ा हुआ था, तब वे हरिदास को लेकर बड़ामलहरा के अस्पताल पहुंचे, जहां से उसे छतरपुर अस्पताल रेफर कर दिया। छतरपुर के अस्पताल से उसके लड़के को झांसी रेफर कर दिया तथा झांसी ले जाते समय रास्ते में उसके लड़के हरिदास की मृत्यु हो गई थी, तब उसने थाने पर जाकर प्र.पी.1 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। आपराधिक मृत्यु का पंजीयन का दस्तावेज प्र.पी.2, सफीना फार्म प्र.पी.3 एवं नक्शा पंचायतनामा प्र.पी.4 है, जिसके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने दिनांक 15.06.2022 को घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 तैयार किया था। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उक्त साक्षी द्वारा स्वीकार किया गया कि जब उसका लड़का हरिदास गिर गया था, तब उसने बीच–बचाव कर बचाया था और परिवार के लोगों को आवाज दी थी, तब आरोपी वहां से भाग गया था और उस समय वहां पर भाना अहिरवार एवं कमला अहिरवार आ गये थे।

09. इस संबंध में कमलेश अ.सा.02 के द्वारा बताया गया है कि घटना दिनांक 14.06.22 को रात के लगभग 9–10 बजे की है। वह और भाना अपने घर पर बैठे हुए थे, तभी मृतक हरिदास के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह मुलुवा के पास आया, तब मुलुवा ने बताया कि आरोपी मनोज हरिदास को पत्थर से मार रहा है। तब वह और भाना घटनास्थल पर पहुंचे, तब उसने वहां देखा तो वहां पर खून पड़ा हुआ था। तब वह हरिदास को ढूंढ़ने के लिए वनपुरा गांव गये। वनपुरा गांव के पहले ही हरिदास आम के पेड़ के नीचे पडा हुआ था। इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घ ोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि जब वह, भाना एवं मुलुवा भीमकुंड तिराहे के पास पहुंचे थे, तब हरिदास हैण्डपम्प के थोड़ा पास बेहोशी हालत में पड़ा हुआ था तथा उसके सिर के पीछे की ओर गहरी चोट थी, जिसमें से खून बह रहा था और आरोपी मनोज वहां से भाग गया था। घटना के संबंध में मुलुवा से पूछने पर उसने बताया था कि पानी भरने के विवाद के ऊपर से आरोपी ने हरिदास को पत्थर से मार दिया था।

10. इस संबंध में भाना अहिरवार अ.सा.03 के द्वारा बताया गया है कि घटना कथन दिनांक से लगभग 8–9 महीने पहले जून महीने की है। वह बाजना में स्थित अपने घर पर था, तब मुलुवा चिल्ला रहा था कि उसके लड़के को आरोपी मार रहा है, तो वह घ टनास्थल पर पहुंचा था। तब उसने देखा था कि हरिदास के सिर के पीछे तरफ चोट थी, जिससे खून बह रहा था। वह बेहोशी की अवस्था में पड़ा हुआ था व आरोपी मनोज घटनास्थल से भाग रहा था, तब उसने एम्बुलेंस को फोन लगाया था और एम्बुलेंस से वह मृतक हरिदास को बड़ामलहरा अस्पताल ले गये थे, जहां से उसे छतरपुर अस्पताल में रैफर कर दिया था और छतरपुर से ग्वालियर रैफर कर दिया था तथा ग्वालियर ले जाते समय मृतक हरिदास की मृत्यु हुई थी। पुलिस ने प्र.पी.3 के सफीना फार्म, प्र.पी.4 के नक्शा पंचायतनामा पर उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

11. मृतक हरिदास के भाई दशरथ अ.सा.04 के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया गया है कि उसे गांव के लोगों से पता चला था कि मृतक हरिदास की मृत्यु घटना दिनांक को आरोपी के द्वारा पानी भरने के विवाद के कारण मृतक हरिदास के सिर पर पत्थर मारने से हुई थी, वह पत्थर वहीं पर पड़ा हुआ था और आरोपी वहां से भाग गया था तथा मृतक हरिदास को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बड़ामलहरा ले जा रहे थे, तब रास्ते में एम्बुलेंस मिल गयी थी, जिससे बड़ामलहरा के अस्पताल ले गये थे, जहां से उसे छतरपुर ले जाने के लिए रेफर किया था और छतरपुर के अस्पताल से उसे झांसी या ग्वालियर के अस्पताल ले जाने के लिए रेफर कर दिया। झांसी ले जाते समय रास्ते में हरिदास की मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने घटना के दूसरे दिन प्र.पी. 5 का नक्शामौका बनाया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

12. डॉ. के.पी. बामौरिया अ.सा.11 ने अपने कथन में बताया है कि वह दिनांक 15.06.2022 को सी.एच.सी. बडामलहरा में मेडिकल ऑफिसर के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक 734 बलबीर सिंह थाना बाजना के द्वारा मृतक हरिदास के शव को करीब शाम 07:30 बजे पी.एम. हेतु उसके समक्ष लाये जाने पर उसने दिनांक 16.06.2022 को सुबह 08:00 बजे मृतक का पी.एम. किया था। मृतक का पी.एम. करते समय मृतक का शव चित्त अवस्था में पीएम टेबिल पर था मृतक ब्लेक व्हाईट फुल लाईन की शर्ट, काली बनियान विथ रैड बार्डर, नेवी ब्लू अंडरवियर पहने हुए था मृतक के सिर पर सर्जिकल पट्टियां बंधी हुई थी, आंखे बंद थी, कंन्जेक्टाईवा

पेल था, पुतलिया फैली हुई एवं स्थिर अवस्था में थी मृतक की पट्टियां खोलने पर उसके सिर पर टांके लगे हुए, पैनिस में फोलिज कैथेटर लगा हुआ था। मृतक की बाईं भुजा पर बाहर की ओर नीलगू निशान तथा 4.5 सेमी गुनित 6.5 सेमी. की छिलन तथा बाायीं भुजा पर इंडेटेज मार्क, ओवलसीफेट पर मौजूद जिसका आकार 4.01 सेमी गुणित 3.01 सेमी गुणित उक्त त्वचा की गहराई तक, कमर पर बाईं ओर एक नीलगू निशान, जिसका आकार 6.5 सेमी. गुणित 4.5 सेमी. था। शरीर के उपरी और निचले हिस्से में अकड़न, मृतक का औसत कद काठी का होने, मृतक के शरीर पर घाव थे तथा खोपडी, कपाल, कसेरूिका, खोपडी में फ्रैक्चर, सिल्ली पर रक्त का थक्का, मस्तिष्क कंजस्टेड एवं उस पर भी खून के थक्के मौजूद होकर पर्दा पसली, कोमलस्थ स्वस्थ, कंठ श्वांसनली, सामान्य, दायां एवं बायां फेफडा कंजस्टेड, हृदय के दाहिने चैम्बर में रक्त भरा होकर वृहदवाहिका में रक्त मौजूद होकर पर्दा स्वस्थ, आंतो की झिल्ली स्वस्थ, मुहं तथा ग्रासनली स्वस्थ, पेट में अवशिष्ट अधपचा भोजन तथा छोटी आंत में अवशिष्ट पचा हुआ भोजन, बडी आंत में अवशिष्ट मल मौजूद होने तथा यकृत प्लीहा गुर्दा कंजेस्टेड था। उसके अनुसार मृतक की मृत्यु कौमा के कारण होने तथा मृत्यु का प्रकार हेडइंज्यूरी है। मृतक की मृत्यु उसके परीक्षण से 24 घंटे के अंदर की होकर मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट प्रदर्श पी 12 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

13. इस साक्षी के द्वारा यह भी बताया गया है कि थाना प्रभारी बाजना के द्वारा पत्र दिनांक 16.07.2022 के द्वारा उससे निन्मानुसार जानकारी चाही गई थी।

बिंदु कमांक–1 क्या जप्तशुदा उपरोक्त पत्थर से मृतक हरिदास को सिर में आई चोटें आना संभव हैं जिससे हरिदास अहिरवार की मृत्यु हुई है।

बिंदु कमांक–2 अन्य कोई अभिमत जो आवश्यक हो। जिसके संबंध में उसके द्वारा क्वेरी रिपोर्ट में बताया था कि जप्तशुदा सीलबंद पत्थर के द्वारा मारपीट से सिर में चोट पहुचांई जाना संभव है। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी 13 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

14. साक्षी रोहित अ.सा.06 के द्वारा न्यायालयीन परीक्षण में व्यक्त किया गया है कि दिनांक 01.08.2022 को वह तहसील बकस्वाहा में पटवारी के पद पर पदस्थ था तब तहसीलदार के पत्र दिनांक 21.06.2022 के पालन में उसके द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर साक्षीगण कमलेश, भाना एवं गनेश व चौकीदार की

उपस्थिति में प्रदर्श पी 9 का नजरी नक्शा तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15. साक्षी रूप सिंह जाटव अ.सा.7 के द्वारा बताया गया कि वह दिनांक 18.06.2022 को थाना बाजना में आरक्षक के पद पर पदस्थ था तब सामुदायिक स्वास्थ केंद्र बडामलहरा से मृतक हरिदास के पहने हुए कपडे एक सीलबंद पैकेट में एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडामलहरा की सील उसके सामने प्रधान आरक्षक बसीर खान के द्वारा पेश करने पर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 10 तैयार किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। इसी आशय की साक्ष्य सुनील कुमार अ.सा.10 के द्वारा प्रस्तुत करते हुए उसके सामने प्रदर्श पी 10 का जप्तीपत्रक तैयार करना बताते हुए उक्त दस्तावेज पर स्वयं के हस्ताक्षर होना स्वीकार किया गया है।

16. प्रकरण के विवेचक टीकाराम कुर्मी अ.सा. 12 के द्वारा बताया गया कि दिनांक 15.06.2022 को वह थाना बाजना में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे तब फरियादी मुलुवा के द्वारा थाने पर आकर सूचना देने पर उसके द्वारा आरोपी मनोज के विरूद्व भा.द.सं. की धारा 294, 302 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के संबंध में अपराध क्रमांक 40/2022 पंजीबद्व कर प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट लेखबद्व की थी जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को मर्ग क्रमांक 7/22 प्रदर्श पी 2 पंजीबद्व किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही प्र.पी. 14 लगायत प्र.पी.16 के रोजनामचे में प्रविष्टी की थी।

17. इस साक्षी ने यह भी बताया है कि उसके द्वारा उपरोक्त दिनांक को प्रदर्श पी 3 का सफीना फार्म एवं प्रदर्श पी 4 का नक्शा पंचायतनामा साक्षीगण के समक्ष तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। तथा फरियादी मुलुवा की निशादेही पर साक्षीगण कमलेश व दशरथ के समक्ष घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 5 तैयार किया था जिसके डी से डी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं तथा उक्त दिनांक को ही मृतक के शव परीक्षण हेतु प्रदर्श पी 17 का आवेदन तैयार किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा उक्त दिनांक को ही 19:10 बजे साक्षीगण गनेश व ललिता के समक्ष घटनास्थल से खून आलूदा मिट्टी एवं सादा मिट्टी जप्त कर जप्तीपत्रक प्रदर्श पी 11 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

18. इस साक्षी द्वारा यह भी बताया गया कि दिनांक 16.06.

2022 को आरोपी मनोज अहिरवार को साक्षीगण के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी 8 तैयार किया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही 17:50 बजे आरोपी मनोज से साक्षी कमलेश व दशरथ के समक्ष पूछताछ कर प्रदर्श पी 6 का मेमोरेंडम लेखबद्व किया था जिसमें आरोपी द्वारा घटना में प्रयुक्त पत्थर को नल के आगे रोड के किनारे कुछ पत्थरों के ढेर में फेंक देना बताया था। उक्त दिनांक को ही 18:30 बजे आरोपी द्वारा बताए गए स्थान से एक पत्थर जिसमें खून के धब्बे जैसे बने हुए थे जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 7 तैयार किया था जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर थे तथा उसके द्वारा फरियादी मुलुवा एवं साक्षीगण कमला उर्फ कमलेश अहिरवार, भाना अहिरवार, जीतेन्द्र अहिरवा, उषा अहिरवार, गुंदिया बाई, ग्यादीन अहिरवार, दशरथ अहिरवार एवं मंगी अहिरवार के कथन उनके बताए अनुसार लेख किए थे।

19. साक्षी मन्नू अहिरवार अ.सा. 5 के द्वारा उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी 8 का गिरफ्तारी पत्रक तैयार करना बताया गया है इसी प्रकार साक्षी ललिता विश्वकर्मा अ0सा0 8 के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में उसके सामने ग्राम बाजना के भीमकुंड तिराहा के नल के पास से एक गोल पत्थर जिसमें खून लगा था व खून सनी मिट्टी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी 11 तैयार करना बताया गया इस साक्षी को अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर उसके द्वारा स्वीकार किया गया कि पुलिस के द्वारा घटनास्थल से सादा मिट्टी एवं खून आलूदा मिट्टी जप्त की गई है।

20. जप्ती के अन्य साक्षी गनेश पटेल अ0सा0 9 के द्वारा जप्ती की कार्यवाही का समर्थन न करते हुए उसके सामने पुलिस के द्वारा कोई वस्तु जप्त करने से इंकार किया गया है तथा अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर भी अभियोजन कहानी के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई थी।

21. आरोपी की ओर से प्रस्तुत बचाव साक्षी सरजू प्रसाद ब.सा.01 के द्वारा बताया गया कि वह मृतक हरिदास उसके पिता मुलुवा एवं आरोपी को जानता है। दिनांक 14.06.2022 को वह रात्रि के करीब 8–9 बजे भुजपुरा गावं से निमंत्रण करके अपने घर पैदल वापस आ रहा था उसके साथ में जाने वाले लोग उससे आगे निकल गए थे वह थोडा पीछे रह गया था ग्राम वनपुरा में पेड़ के

पास रोड पर मोटरसाईकिल उल्टी साईड में पडी हुई थी और मृतक हरिदास पेड के नीचे पडा हुआ था वहीं पर 100 डायल का वाहन खडा था।

22. बचाव साक्षी नीरज कुमार द्विवेदी ब.सा.02 के द्वारा बताया गया कि दिनांक 1406.2022 को वह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडामलहरा में चिकित्सा अधिकारी के रूप में पदस्थ तब आहत हरिदास सिर में चोट की शिकायत लेकर अस्पताल आया था उसके द्वारा आहत का प्राथमिक उपचार किया गया था एवं उसे जिला अस्पताल छतरपुर में अग्रिम उपचार व एक्सरे परीक्षण की सलाह देकर रेफर किया गया था उस समय आहत की स्थिति गंभीर होकर उसे उल्टियां हो रही थी उसका बी.पी. 110/180 था उसकी आंखों की पुतलियां लाईट से कम रिएक्ट कर रही थी। आहत के भाई भाना अहिरवार ने उसे बताया था कि उसका मरीज खुद से अपनी मोटरसाईकिल से गिर गया है जिससे संबंधित पर्चा प्रदर्श डी 4 है जिसके ए से ए भाग पर लेख किया गया अंश भाग उसके द्वारा आहत के भाई भाना के बताए अनुसार उसके द्वारा लेख किया गया है।

23. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंतिम तर्क के दौरान व्यक्त किया गया कि आरोपी एवं फरियादी के मध्य पूर्व से जमीनी विवाद होने के कारण आरोपी को झूठा फंसाया गया है। मृतक हरिदास की दुर्घटना में आई चोटों के कारण मृत्यु हुई है फरियादी के द्वारा विलंब से रिपोर्ट लेख कराई गई है, इसका कोई कारण अभिलेख पर नहीं है। अभियोजन पक्ष के द्वारा प्रस्तुत साक्षीगण की साक्ष्य विरोधाभाषी एवं विसंगतियों से युक्त है जिसके कारण अभियोजन की कहानी संदिग्ध हो जाती है। अतः आरोपी को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जावे।

24. आरोपी की ओर से प्रस्तुत उपरोक्त तर्क के संबंध में प्रकरण का अवलोकन किए जाने से दर्शित होता है कि अभियोजन पक्ष द्वारा घटना के चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में मृतक हरिदास का पिता मुलुवा अ.सा.01 एवं साक्षीगण कमलेश अ.सा.02 एवं भाना अ.सा.03 की साक्ष्य पेश की गई है। फरियादी मुलुवा अ.सा.01 के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया गया कि वह एवं उसका लडका मृतक हरिदास शासकीय नल पर पानी भरने गए थे तब आरोपी ने कहा कि नल उसने सुधरवाया है और उसी बात पर विवाद होने पर आरोपी ने मृतक के सिर पर पीछे से तीन बार प्रहार किया जिससे उसके सिर से खून निकलने लगा तब वह भागकर अपने भतीजे एवं

परिवार वालों को बुला कर लाया लेकिन जब वह कमलेश एवं भाना को लेकर घटनास्थल पर पहुंचा तब वहां पर मृतक हरिदास नहीं मिला था व उसे जानकारी मिली थी उसके लड़के को आरोपी मनोज, कोरैया, पार्वती संतोष एंव तुल्लईया, वनपुरा लेकर चले गए हैं तब वह अपने भतीजे की मोटरसाईकिल से वनपुरा पहुंचा वनपुरा में बस्ती के पास मृतक हरिदास सड़क किनारे आम के पेड़ के पास मिला था

25. इस साक्षी द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया कि बाजना से वनपुरा की दूरी 4–6 किलोमीटर है। उसे व उसके भाई भाना को उसका पुत्र वनपुरा के पास खेत के पास सडक किनारे पडा मिला था और वहीं पर मोटरसाईकिल भी मिली थी। इस साक्षी के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 10 एवं प्रदर्श पी 12 में घटनास्थल पर मृतक के न मिलने और वनपुरा पहुंचने पर मृतक के सडक किनारे मिलने संबंधी तथ्य प्रदर्श पी 1 की रिपोर्ट एवं प्रदर्श डी 1 के कथनों में लेखबद्व कराना बताया गया है जबकि पूर्व कथनों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किए जाने से उक्त तथ्य प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं पुलिस को द.प्र.सं. की धारा 161 के अंतर्गत दिए गए कथनों में होना दर्शित नहीं होते हैं तथा प्रकरण के विवेचक टीकाराम कुर्मी अ.सा.12 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 20 में उक्त तथ्य पुलिस कथन में लेखबद्व कराने से स्पष्ट रूप से इंकार किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी द्वारा अभियोजन कहानी से भिन्न साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जिसकी साक्ष्य की विश्वसनीयता प्रतिकूल रूप से प्रभावित होती है।

26. साक्षी कमलेश अ.सा.02 के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में बताया गया कि घटना के समय वह अपने घर पर था तब फरियादी मुलुवा की आवाज सुनकर फरियादी एवं भाना के साथ घटनास्थल पर पहुंचा लेकिन वहां पर खून पडा था एवं मृतक नहीं था तब वे मृतक हरिदास का ढूंढ़ने के लिए वनपुरा गांव गए जहां गांव के पहले ही हरिदास आम के पेड़ के नीचे पड़ा मिला था लेकिन इस साक्षी से जब अभियोजन पक्ष के द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे गए तब इसके द्वारा घटना स्थल पर पहुंचने पर मृतक हरिदास हैण्डपम्प के पास बेहोशी की हालत में पड़ा मिलना बताया गया है एवं आरोपी को भागते हुए देखना भी व्यक्त किया गया है। इस साक्षी से आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा प्रतिपरीक्षण की कंडिका 8 में यह पूछे जाने पर कि मृतक घटनास्थल पर मिला था अथवा वनपुरा में मिला था इस साक्षी के द्वारा वनपुरा में मिलने वाली बात को सही बताते हुए सूचक प्रश्न पूछे जाते समय बताए गए

तथ्यों से इंकार किया गया है। इस प्रकार इस साक्षी के द्वारा उपरोक्त परस्पर विरोधाभाषी साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। जिसके कारण उसके द्वारा साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

27. प्रकरण में फरियादी के द्वारा अपनी साक्ष्य में बताया गया है कि जब वह कमलेश एवं भाना के साथ पुनः घटनास्थल पर पहुंचा था तब वहां पर मृतक हरिदास एवं आरोपी नहीं मिले थे जबकि साक्षी कमलेश अ.सा.02 के द्वारा अपनी साक्ष्य में आरोपी को भागते हुए देखना बताया गया है इसी आशय की साक्ष्य साक्षी भाना अ.सा.03 के द्वारा भी प्रस्तुत की गई है। इस प्रकार उपरोक्त तीनों साक्षीगण की साक्ष्य परस्पर विरोधाभाषी है जो प्रकरण की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है।

28. फरियादी मुलुवा अ.सा.01 के द्वारा अपनी साक्ष्य में जब वह पुनः घटनास्थल पर पहुंचा तब वहां पर मृतक हरिदास एवं आरोपी का घटनास्थल पर न होना तथा मृतक हरिदास वनपुरा में बस्ती के पास सडक के किनारे मिलना बताया गया है। फरियादी के द्वारा उक्त तथ्य अभियोजन कहानी के विपरीत हैं परंतु अभियोजन पक्ष के द्वारा फरियादी को पक्षद्रोही घोषित किया गया है, लेकिन अभियोजन कहानी से भिन्न बताये गये उपरोक्त तथ्यों का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त करने संबंधी सूचक प्रश्न फरियादी से नहीं पूछे गये हैं, इसलिए फरियादी के द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य अभियोजन पक्ष पर आबद्धकारी है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **जावेद मसूद एवं अन्य विरूद्ध राजस्थान राज्य 2010 सी.आर.एल.जे. 2020 (एस. सी.)** का निम्नलिखित अंश प्रासंगिक होने के कारण यह उल्लेखित किया जा रहा है कि "................It is not known as to why the public prosecutor in the trial court failed to seek permission of the court to declare him "hostile". His evidence is binding on the prosecution as it is............"

29. आरोपी के द्वारा मृतक हरिदास को दुर्घटना में चोटें आना बताते हुए फरियादी द्वारा रंजिश के कारण उसको झूठा फंसाए जाने संबंधी प्रतिरक्षा ली गई है। उक्त प्रतिरक्षा के संबंध में आरोपी की ओर से प्रस्तुत साक्षी सरजू प्रसाद यादव ब.सा.01 के द्वारा अपनी साक्ष्य में घटना दिनांक को ग्राम वनपुरा में पेड़ के पास रोड पर मोटरसाईकिल पड़ी होने एवं उसके पास में मृतक हरिदास के पड़े होने के सबंध में साक्ष्य प्रस्तुत की गई है। इस साक्षी की उक्त साक्ष्य प्रतिपरीक्षण के दौरान पूर्णतः अखंडित रही है तथा घटना दिनांक को ही मृतक हरिदास का घटना के तुरंत पश्चात् प्राथमिक

उपचार करने वाले डॉक्टर नीरज कुमार द्विवेदी ब.सा.02 के द्वारा भी अपनी साक्ष्य में घटना दिनांक को मृतक हरिदास का इलाज करना एवं उसे अग्रिम उपचार हेतु जिला चिकित्सालय छतरपुर रैफर करना बताते हुए मृतक के भाई भाना अहिरवार के द्वारा मृतक का खुद अपनी मोटरसाईकिल से गिर जाना बताया जाना व्यक्त किया करते हुए प्रदर्श डी 4 के ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर को प्रमाणित किया गया है। उपरोक्त दोनों साक्षीगण की आरोपी से हितबद्वता होने अथवा फरियादी से रंजिश होने के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं है ऐसी स्थिति में उक्त दोनों साक्षीगण की साक्ष्य पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण अभिलेख पर नहीं हैं।

30. मृतक के पिता मुलुवा अ.सा.01 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया कि उसे व उसके भाई भाना को उसका पुत्र वनपुरा के पास खेत के पास सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था तथा मोटरसाईकिल भी वहीं पर मिली थी। इस साक्षी के द्वारा मृतक हरिदास को बड़ामलहरा अस्पताल ले जाते समय उसका भतीजा कमलेश एवं भाना के साथ होना भी बताया गया है तथा साक्षी भाना अ.सा.03 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण के दौरान व्यक्त किया गया है कि वह आहत के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बड़ामलहरा गया था, जहां पर उसने डाक्टर को मृतक हरिदास को चोटें कैसे आईं इसके बारे में बताया था तथा उसने अस्पताल के इलाज के पर्चे पर हस्ताक्षर भी किए थे। प्रकरण के विवेचक टीकाराम कुर्मी अ0सा0 12 के द्वारा भी प्रतिपरीक्षण की कंडिका 19 में यह स्वीकार किया गया है कि विवेचना के दौरान उसके द्वारा रोगी कल्याण समिति सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडामलहरा का मृतक हरिदास का इलाज संबंधी पर्चा कमांक 5078 दिनांक 14.06.2024 प्रदर्श डी 4 प्राप्त किया था तथा प्रदर्श डी 4 के ए से ए भाग पर ''मेरा मरीज खुद से अपनी मोटरसाईकिल से गिर गया'' लिखा हुआ है। उपरोक्त साक्षीगण की साक्ष्य से आरोपी के द्वारा दुर्घटना में मृतक को चोटें आने के संबंध में दी गई प्रतिरक्षा का समर्थन होता है।

31. फरियादी द्वारा अपनी साक्ष्य में मृतक को पहले इलाज हेतु बडामलहरा के अस्पताल में ले जाना जहां से उसे छतरपुर अस्पताल से रैफर करना एवं छतरपुर अस्पताल से झांसी इलाज हेतु रेफर कर देना बताया गया है। परंतु अभियोजन पक्ष के द्वारा उक्त दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए गए हैं तथा बडामलहरा के अस्पताल एवं छतरपुर के अस्पताल से भी पुलिस को कोई सूचना

प्राप्त हुई हो, इस संबंध में कोई दस्तावेज अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के विवेचक टीकाराम कुर्मी अ.सा.12 जो कि प्रथम सूचना रिपोर्ट का लेखक भी है। उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान स्वीकार किया गया कि घटना दिनांक को घटना के संबंध में आहत के परिजन व चक्षुदर्शी साक्षी के द्वारा कोई रिपोर्ट लेख नहीं कराई गई थी तथा बडामलहरा या छतरपुर के अस्पताल से भी कोई तहरीर या सूचना घटना के संबंध में प्राप्त नहीं हुई थी, छतरपुर के अस्पताल में पुलिस चौकी है, लेकिन वहां से भी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई थी मारपीट से संबंधित किसी भी मामले में डाक्टर के द्वारा संबंधित थाने को तहरीर भेजी जाती है। इस साक्षी की उपरोक्त स्वीकारोक्ति से यह दर्शित होता है कि यदि मृतक को आरोपी द्वारा मारपीट करने से चोटें आईं होती तब मृतक के परिजन के द्वारा घटना दिनांक को रिपोर्ट लेखबद्व कराई गई होती अथवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बडामलहरा या छतरपुर से घटना के संबंध में कोई सूचना अवश्य प्राप्त हुई होती इसके कारण भी आरोपी के द्वारा ली गई प्रतिरक्षा को बल प्राप्त होता है।

32. प्रकरण के फरियादी मुलुवा अ.सा.01 एवं साक्षीगण कमलेश अ.सा.02 तथा भाना अ.सा.03 के द्वारा घटना के समय उन्हें आवाज देकर बुलाये जाने अथवा फरियादी द्वारा स्वयं बुलाने के संबंध में भिन्न–भिन्न साक्ष्य प्रस्तुत की गई है तथा फरियादी के द्वारा स्वयं आरोपी द्वारा मारपीट करते समय उसे रोकने का प्रयास करने के संबंध में स्पष्ट साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है तथा घटना के तुरंत पश्चात फरियादी को इलाज के लिए बड़ामलहरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं छतरपुर के शासकीय अस्पताल में ले जाना बताया गया है, परन्तु फरियादी तथा उक्त साक्षीगण के द्वारा पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई है तथा मृतक की जिस स्थान पर मृत्यु होना बतायी गई है, इस स्थान से पुलिस थाना बाजना आते समय रास्ते में किसी पुलिस थाने या चौकी में घटना के संबंध में कोई सूचना दी गई हो, इस संबंध में अभिलेख पर कोई साक्ष्य नहीं है। फरियादी व उसके परिजनों का उक्त व्यवहार अत्यन्त अस्वाभाविक होकर प्रकरण की विश्वसनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

33. इस संबंध में न्यायदृष्टांत **दीनदयाल विरूद्ध राजकुमार उर्फ राजू व अन्य (1998) एस.सी.सी. (सी.आर.आई.) 892** अवलोकनीय है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृतक के साथ उसके निकट संबंधियों एवं चक्षुदर्शी साक्षी के अस्पताल में होने पर भी उनके द्वारा पुलिस को आरोपी का नाम न

बताना अस्वाभाविक व्यवहार मानते हुए साक्षीगण की विश्वसनीयता को संदिग्ध होना माना है।

34. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा अंतिम तर्क के दौरान आरोपी से की गई जप्ती की कार्यवाही को एवं डॉक्टर द्वारा प्रस्तुत क्वेरी रिपोर्ट को भी विसंगतिपूर्ण होना बताते हुए प्रकरण की विश्वसनीयता को आक्षेपित किया गया है। उक्त तर्क के संदर्भ में प्रकरण का अवलोकन किये जाने से दर्शित होता है कि प्रकरण के विवेचक टीकाराम कुर्मी अ.सा.12 के द्वारा आरोपी से दिनांक 16.06.22 को पूछताछ कर प्र.पी.6 का मेमोरेण्डम लेने पर आरोपी के द्वारा घटना में प्रयुक्त पत्थर को नल के आगे रोड के किनारे फेंकना बताना व्यक्त किया गया है एवं आरोपी के बताये गये स्थान से पत्थर जप्त कर प्र.पी.7 का जप्ती पत्रक तैयार करना व्यक्त किया गया, लेकिन आरोपी से की गई उक्त पूछताछ के साक्षी दशरथ अ.सा.04 जो कि मृतक का भाई है। उसके द्वारा उक्त पूछताछ कार्यवाही का समर्थन नहीं किया गया है तथा प्र.पी.7 के जप्ती पत्रक का अवलोकन किये जाने से दर्शित होता है कि उक्त दस्तावेज में निम्न नोट अंकित है :– आरोपी मनोज अहिरवार के द्वारा घटनास्थल के पास भीमकुंड तिराहा के पास लगे सरकारी हैण्डपंप के थोड़ा आगे नोनेसिंह के मकान के पास से उठाकर देने पर वजह सबूत में विधिवत् जप्त किया गया। जिससे दर्शित होता है कि पत्थर नोने सिंह के मकान से जप्त किया गया है। प्र.पी.5 के नक्शामौका का अवलोकन किये जाने से दर्शित होता है कि नोने सिंह का मकान एवं सड़क विपरीत दिशाओं में है। ऐसी स्थिति में उक्त जप्ती की कार्यवाही आरोपी के मेमोरेण्डम में बताये गये तथ्यों के अनुसार होने संबंधी साक्ष्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

35. डॉ. के.पी. बामौरिया अ.सा.11 के द्वारा अपनी साक्ष्य में थाना प्रभारी बाजना के द्वारा दिनांक 16.07.22 को जप्तशुदा पत्थर के संबंध में क्वेरी की जाना बताते हुए उक्त जप्तशुदा सीलबंद पत्थर से मारपीट से मृतक के सिर में चोट आना संभव होना बताते हुए प्र.पी.13 की रिपोर्ट को प्रमाणित किया गया है। लेकिन प्रकरण के विवेचक टीकाराम कुर्मी अ.सा.12 के द्वारा अपनी साक्ष्य में दिनांक 15.07.22 को पुलिस अधीक्षक छतरपुर के माध्यम से प्र.पी.18 के पत्थर के द्वारा जप्तशुदा वस्तुओं के परीक्षण हेतु एफ.एस.एल. ग्वालियर भेजना बताया गया है। प्र.पी.18 के पत्र का अवलोकन किये जाने से उक्त पत्र के द्वारा घटनास्थल की खून आलूदा मिट्टी, सादा मिट्टी, खून लगा हुआ पत्थर एवं मृतक के कपड़े परीक्षण हेतु क्षेत्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला ग्वालियर भेजना दर्शित होती

है। ऐसी स्थिति में जबकि आर्टिकल–ए का पत्थर दिनांक 15.07.22 को एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु भेजा जा चुका था। दिनांक 16.07.22 को डॉक्टर के पास परीक्षण हेतु जप्तशुदा पत्थर भेजे जाने संबंधी तथ्य की विश्वसनीयता संदिग्ध हो जाती है।

36. प्रकरण के विवेचक के द्वारा अपनी साक्ष्य में एफ.एस.एल. ग्वालियर से प्राप्त रिपोर्ट प्र.पी.19 होना बताते हुए एफ.एस.एल. ग्वालियर की उक्त रिपोर्ट के परिणाम अनुसार खून आलूदा मिट्टी, पत्थर एवं मृतक के कपड़ों पर रक्त पाया गया है, जिसमें से मिट्टी व मृतक के कपड़ों पर मानव रक्त होना पाया गया है, जबकि जप्तशुदा पत्थर पर रक्त समूह एवं रक्त की प्रजाति के परिणाम अनिश्चित पाये गये हैं। इस साक्षी की उपरोक्त साक्ष्य से दर्शित होता है कि आरोपी से जप्त होना बताये गये पत्थर पर एफ.एस.एल. परीक्षण रिपोर्ट पर केवल रक्त होना पाया गया है। उक्त रक्त मानव रक्त होने के संबंध में कोई विश्वसनीय साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है तथा विवेचक के द्वारा प्रतिपरीक्षण के दौरान यह स्वीकार किया गया कि विवेचना में जप्तशुदा मृतक के रक्त समूहों के संबंध में लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त पत्थर पर मानव रक्त होने अथवा मृतक का रक्त होने के संबंध में भी अभिलेख पर विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है, जिसके कारण उक्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य से भी अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं होता है।

37. आरोपी के विरूद्ध मृतक हरिदास के साथ पत्थर से मारपीट कर उसकी हत्या करने संबंधी गंभीर प्रकृति के आरोप हैं। ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष को उक्त तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए साक्ष्य भी गंभीर एवं मानक स्तर की प्रस्तुत की चाहिये थी। इस संबंध में न्यायदृष्टांत **अजमेर सिंह विरूद्ध स्टेट ऑफ हरियाणा (2010) 3 एस.सी.सी. 746** में मान्नीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि का अधोलिखित प्रासंगिक होने के कारण यह उल्लेखित किया जा रहा है कि "................It is a well-settled principle of the criminal jurisprudence that more stringment the punishment, the more heavy is the burden upon the prosecution to prove the offence........." उक्त न्यायदृष्टांत में दिये गये मत के आलोक में प्रकरण से संबंधित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अभियोजन के ऊपर उक्त आरोप को प्रमाणित करने का भार अपेक्षाकृत अधिक था

38. इस संबंध में न्याय दृष्टांत **श्री रविन्द्र कुमार दे**

विरूद्ध स्टेट ऑफ उड़ीसा 1976 क्रिमिनल लॉ रिपोर्टर (सुप्रीम कोर्ट) 436 में मान्नीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस आशय का अभिमत दिया गया है कि दाण्डिक विचारण में अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा प्रायिक रूप से ही साबित करनी होती है और प्रतिरक्षा पक्ष का वृतांत इस प्रकार का होना चाहिए कि वह अभियोजन के प्रकरण पर संदेह उत्पन्न कर दे। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत **कालीराम विरूद्ध स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश ए.आई.आर. 1973 सुप्रीम कोर्ट 2773** में भी मान्नीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा इस आशय का मत दिया गया है कि जहां अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर दो मत दिये जाना संभव हो और उनमें से एक मत अभियुक्त के दोषी होने का और दूसरा मत उसके निर्दोष होने का हो वहां अभियुक्त के पक्ष का मत अर्थात् उसके निर्दोष होने का मत दिया जाना चाहिये।

39. इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ गुजरात विरूद्ध जयराजभाई पुंजाभाई, बारू (2014)14 एस.सी.सी. 151** भी अवलोकनीय है। The burden of proof in criminal law is beyond all reasonable doubt. The prosecution has to prove the guilt of the accused beyond all reasonable doubt and it is also the rule of justices in criminal law that if two views are possible on the evidence adduced in the case one pointing to the guilt of the accused and the other towards his innocence, the View Which in favourable to the accused should be adopted." उक्त न्याय दृष्टांत के आलोक में अभियोजन को अपना मामला विश्वसनीय साक्ष्य से प्रमाणित करना चाहिये।

40. उपरोक्त विवेचित परिस्थितियों में अभियोजन पक्ष प्रत्यक्ष एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर उसके द्वारा प्रस्तुत प्रकरण को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः आरोपी मनोज अहिरवार को संदेह का लाभ देते हुए भा.द. सं. की धारा को धारा 302, 294 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के आरोपों से **दोषमुक्त** किया जाता है।

41 आरोपी की अभिरक्षा अवधि के संबंध में धारा 428 दं.प्र. सं. का प्रमाण पत्र तैयार किया जाकर प्रकरण के साथ संलग्न किया जावे।

42. प्रकरण में जप्तशुदा खून लगा पत्थर, मृतक के कपड़े, सील नमूना, खूनआलूदा मिट्‌टी, सादा मिट्‌टी, अपराध से संबंधित होने से अपील/पुनरीक्षण अवधि पश्चात नष्ट किये जावें। अपील/पुनरीक्षण होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

43. निर्णय की एक प्रति अभियोजन के माध्यम से जिला मजिस्ट्रेट छतरपुर को सूचनार्थ भेजी जाये।

निर्णय आज दिनांक **15/05/2024** को हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। **(राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)** प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बिजावर, जिला–छतरपुर म.प्र.	मेरे डिक्टेशन पर टंकित किया गया। **(राघबेन्द्र कुमार श्रीवास्तव)** प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश बिजावर के न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश बिजावर, जिला–छतरपुर म.प्र.

RAGHBENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
Digitally signed by RAGHBENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
Date: 2024.05.15 17:06:01 +0530